

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.  
दिनांक:- / / 2016

कमांक:-भू.अ./2016/

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गहोदय

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री दीप्ती देवी पति मदनलाल शर्मा नि सावना के राजस्व ग्राम पुरोही का सावना में जमावन्दी संवत् 2078 की खाता संख्या 110, 512 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम दीप्ती देवी किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम दीप्ती देवी अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जाति संशोधन की रिथिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कमांक:-रीडर/2016/1070

दिनांक:- / / 2016

निमित्त:

पटवार हल्का पुरोही का सावना

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री दीप्ती देवी पति मदनलाल शर्मा

राजस्व ग्राम पुरोही का सावना प.ह. नरनाडी की खाता संख्या 110, 512 में जाति/नाम दीप्ती देवी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री दीप्ती देवी पति मदनलाल शर्मा जाति/नाम दीप्ती देवी एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की रदीकत एल.आर. द्वारा दी जाती है। प.ह. नरनाडी राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अगल की मालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

666

2016